अनुस्मारक

सं. डब्ल्यू-11037/01/2010एमआईएस-जल
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

आठवाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉपलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 27 नवंबर, 2014

सेवा में,

सचिव/प्रधान सचिव
अरूणाचल प्रदेश/बिहार/जम्मू और कश्मीर/झारखंड/नागालैंड/त्रिपुरा/उत्तर प्रदेश/पश्चिमी बंगाल/राजस्थान राज्यों में ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी।

विषय : ग्रामीण जलापूर्ति सैक्टर में ई-प्रापण प्रणाली का कार्यान्वयन।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय का दिनांक 29.08.2014 का समसंख्यक पत्र देखें। यह कहा गया था कि उक्त राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत कार्यों/प्रापण के लिए पूर्ण रूप से ई-प्रापण का कार्यान्वयन करें।

2. पहले भी यह अनुरोध किया गया था कि निम्न स्पष्टीकरण/कार्य प्रस्तुत करें:-

(क) क्या राज्य के पास मानवबल की सेवा प्राप्त है। मानवबल की संख्या/प्रकार तथा उन्हें किस अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया है। अपेक्षित स्थिति यथाशीघ्र निम्न तालिका के अनुसार भेजी जाए:-

क्र.सं.	नियुक्त व्यक्ति		नियुक्ति की अवधि	टिप्पणी
	संख्या	प्रकार		
1.				
2.				

(ख) इन सेवाओं के साथ राज्य में ई-प्रापण पर किस हद तक कार्य संभव हुआ है। निम्नलिखित तालिका के अनुसार 10 लाख व उससे अधिक की निविदा के लिए अपेक्षित माहवार स्थिति-जनवरी, 2013 से, यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए :-

क्र.सं.	अवधि	एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रमों और सेवाओं (राज्य औसत) के संबंध में कुल निविदाओं में से ई-प्रापण द्वारा किए गए निविदा का प्रतिशत
1.	जनवरी, 2013	
2.	फरवरी, 2013	

3.	मार्च, 2013	
4.	....	
5.	....	
6.	जुलाई, 2014	
7.	अगस्त, 2014	

3. अपेक्षित सूचनाएँ अब तक मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है। अत: अनुरोध है कि एक सप्ताह के भीतर उपर्युक्त सूचनाएँ भेजें, ऐसा न करने पर राज्य को उपलब्ध कराई गई मानव बल सेवा वापस ले ली जाएगी।

भवदीय

(राजेश कुमार)
निदेशक (जल)

प्रति:-

1. ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम के प्रभारी मुख्य अभियंता ।
2. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) वैबसाइट पर डालने हेतु।